1	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित 3
27.05.19		

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

बन्दोबस्ती वाद सं0– 06/2013–14

आवेदिका– मदन हलदार

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– माल कसवा

आदेश

यह बन्दोबस्ती वाद आवेदक मदन हलदार, पिता– स्व0 गन्टू हलदार, सा0– हाटपाड़ा कॉलोनी, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज के द्वारा मौजा माल कसवा के जमाबंदी नं0– 63, दाग नं0– 619 एवं 620, कुल रकवा 04 कट्ठा जमीन बन्दोबस्ती हेतु आवेदन दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 07.02.2014 को वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अंचल अधिकारी, राजमहल से इस कार्यालय के ज्ञापांक 13/रा0, दिनांक 07.02.2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों से अनापत्ति की मांग की गयी।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
माल कसवा	63	619 एवं 620	00–04–00

नोटिस तामिला प्राप्त।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 01.08.2016 को आवेदक के मृत्यूपरांत उनके तीन वंशजों यथा ममता बेवा, पति– स्व0 मदन हलदार, सपन हलदार एवं तपन हलदार, दोनों के पिता– स्व0 मदन हलदार को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। जिसे स्वीकृत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि आवेदक एक गरीब मछुवा जाति के सदस्य हैं। इनके पिता पूर्वी पाकिस्तान से प्रताड़ित शरणार्थी के रूप में अन्य शरणार्थियों के साथ तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा बेतिया के चम्पारण जिला में राहत सामग्री के साथ स्थापित किये गये एवं बाद में मछुवा व्यवसाय हेतु सभी शरणार्थी को राजमहल थाना अंतर्गत माल कसवा में बसाये गया। उसी समय आवेदक के पिता भी अन्य शरणार्थी के साथ मौजा माल कसवा, जमाबंदी नं0– 63, दाग न0– 619 एवं 620 के अंतर्गत 04 कट्ठा जमीन में निज मकान बनाकर परिवार के साथ निवास करते रहे हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि शरणार्थियो को बसाने के लिए अधिसूचना सं0 2232, दिनांक 19.02.1954 के आधार पर 1972 में निबंधित एग्रीमेंट दलील बनाकर शरणार्थियों को बसाया गया है। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अनेकों शरणार्थियों को सरकार द्वारा बन्दोबस्ती कर दी गई है और कुछ शरणार्थी को बन्दोबस्ती करना बांकी है, जिसमें आवेदक भी शामिल है।

अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि मौजा माल कसवा, जमाबंदी नं0'– 62,

Scanned with CamScanner

दाग नं0– 619 एवं 620, रकवा 04 कट्ठा जमीन आवेदक के नाम बन्दोबस्ती किया जाय।

आपतिकर्त्ता 16 आना रैयत के बसंती हलदार के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना कि आवेदक की मृत्यू वर्ष 2016 में हो चुकी है। उक्त आवेदित जमीन घर सहित आपतिकर्त्ता बसंती हलदार की है। उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि आवेदक स्व0 मदन हलदार एवं आपतिकर्त्ता के पति स्व0 मनिन्द्रनाथ हलदार के बीच अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल न्यायालय अंतर्गत क्रि0मि0 वाद सं0 248/2008 दं0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत् आवेदक के विरुद्ध नियम को सम्पुष्ट किया गया था। साथ ही उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि प्रश्नगत जमीन को लेकर व्यवहार न्यायालय, राजमहल में टाईटल सूट वाद चल रहा है, जिसमें आवेदक के पुत्र एवं उनके पति मनिन्द्रनाथ हलदार के वारिसान हैं।

अंत में आपतिकर्त्ता के विद्वान अधिवक्त का कहना है कि चूंकि इस वाद में आवेदक की मृत्यू हो गयी है फलस्वरूप इस वाद को उपसमन किया जाय।

अतः आपत्तिकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि उक्त वाद की कार्यवाही को न्यायहित में समाप्त किया जाय।

अंचल अधिकारी, राजमहल से जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत एवं कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि भूमि विवाद रहित नहीं है। अतएव वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।